भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2353

(सोमवार, 3 अगस्त, 2026/12 श्रावण, 1948 (शक) को उत्तर के लिए)

आंध्र प्रदेश में कारपोरेट पंजीकरण

2353. डॉ. गुम्मा तनुजा रानीः

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि एमसीए 21 संस्करण 3.0 पोर्टल ने अप्रैल, 2024 से फरवरी, 2025 के बीच 84.31 लाख फॉर्म संसाधित किए हैं और वर्ष 2024-25 के दौरान (फरवरी, 2025 तक) 1,59,982 कंपनियां पंजीकृत की गई थीं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार भारत के अनौपचारिक और अर्ध-औपचारिक व्यावसायिक पारिस्थितिकी तंत्र के आकार के सापेक्ष औपचारिकीकरण की इस दर को पर्याप्त मानती है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आंध्र प्रदेश में, विशेषकर एमएसएमई, स्टार्टअप्स और अमरावती-स्थित उभरते सेवा क्षेत्र के बीच कारपोरेट औपचारिकीकरण को बढ़ाने के लिए क्या लक्षित पहलें की जा रही हैं;

(घ) क्या डेटा एनालिटिक्स-संचालित अनुपालन प्रबंधन प्रणाली (सीएमएस) गैर-अनुपालन वाली संस्थाओं के बकाए को कम करने में प्रभावी रही है और मुखौटा कंपनियों सहित पंजीकृत लेकिन गैर-अनुपालन वाली कंपनियों की वर्तमान संख्या कितनी है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?)

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क): जी, हां। एमसीए21 प्रणाली ने अप्रैल 2024 और फरवरी 2025 के बीच 84.31 लाख प्ररूप संसाधित किए, जिसमें कंपनियों और एलएलपी के निगमन, वार्षिक रिटर्न, वित्तीय विवरण, निदेशक केवाईसी और अन्य कार्यक्रम-आधारित फाइलिंग से संबंधित प्ररूप शामिल थे।

(ख): कंपनी अधिनियम, 2013 या सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 में “औपचारिकीकरण” शब्द को परिभाषित या उपयोग नहीं किया गया है। कंपनी या सीमित देयता भागीदारी व्यवसाय करने के लिए एक कानूनी संरचना है और इसे उपरोक्त अधिनियमों के तहत विनियमित किया जाता है। एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जो व्यवसाय करना चाहता है, वह अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप किसी भी कानूनी संरचना के माध्यम से ऐसा कर सकता है। निगमित होने वाली कंपनियों और एलएलपी की संख्या वर्ष दर वर्ष बढ़ रही है।

(ग): ऐसी कोई विशिष्ट पहल विचाराधीन नहीं है।

(घ) और (ङ): अनुपालन प्रबंधन प्रणाली (सीएमएस) सहित एमसीए21 वी3 प्रणाली में डेटा एनालिटिक्स-संचालित सुविधाओं को एकीकृत किया गया है, जिसमें स्वचालित अलर्ट, अपवाद रिपोर्ट और फाइलिंग का पैटर्न विश्लेषण शामिल है। कंपनियों को अनुपालन और गैर-अनुपालन करने वाली निश्चित श्रेणियों में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है क्योंकि कंपनी एक आवश्यकता अनुपालन कर सकती है और दूसरी का नहीं। कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत "शेल कंपनी" शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है।
